

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 96/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 15.09.2025

निर्णय दिनांक : 28.10.2025

उनवान

1. भैरूराम कुम्हार पुत्र छाजूराम कुम्हार, निवासी बहादुरपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।
2. रतनलाल टांक पुत्र रामचन्द्र, जाति दर्जी, निवासी बहादुरपुरा, तहसील विराटनगर, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री हीरालाल रावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गोपाल टांक अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।


॥ निर्णय ॥

दिनांक-28.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष वाद अनुवानी रतनलाल बनाम भैरूराम वगैरह प्रकरण संख्या 64/2020 मय स्थगन विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल टांक ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बअनुवानी रतनलाल बनाम भैरूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 64/2020 जिसके संलग्न टी.आई. 212 आर.टी. एकट रतनलाल बनाम भैरूराम वगैरह, मुकदमा नम्बर 70/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर में जेरकार है। वादी बाहुबल एवं धनबल युक्त है तथा वादी रतनलाल का पुत्र गोपाल टांक पेशे से वकील है जो विराटनगर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में पदाधिकारी है जो ऐलानियां कहता है कि मेरी एस.डी. एम. साहब विराटनगर से मेरी अच्छी उठ बैठ है तथा इस वाद को हमारे हक में डिक्री करवाउंगा। वादी व उसके पुत्र गोपाल टांक द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से मिन प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मिन प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं होगा। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से छोटी छोटी तारीखे दी जा रही है तथा पीठासीन अधिकारी वादी के हक में प्रकरण का फैसला करने पर उतारू है। पीठासीन अधिकारी पूरी तरह से वादी के प्रभाव में है तथा वादी के हक में फैसला करना चाहते है। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नहीं प्राप्त होने का अदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एव उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो उपखण्ड अधिकारी विराटनगर वादी के हक में दावा व टी.आई. का फैसला कर देंगे।

अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुवानी रतनलाल बनाम भैरूराम वगैरह मुकदमा नम्बर 64/2020 जिसके संलग्न टी.




जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

आई. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तकिल किये जाने की कृपा करे।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस के दौरान मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी भैरुराम व उसके परिवारजन की नियत अप्रार्थी की आराजी को नाजायज रूप से हडपने की रही है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण काफी समय से जवाब दावा व जवाब टीआई में लम्बित है। प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जिसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक रूप लम्बित रखना है। प्रार्थी भैरु कुम्हार ने मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से हडप करने के लिये व भैरु कुम्हार व उसके लडके रमेश चन्द के विरुद्ध तहसीलदार विराटनगर द्वारा की गई धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही को गलत व गैर कानूनी रूप से रुकवाये जाने व जबरन अवैध कब्जा बनाये रखने के उद्देश्य से पेश किया गया है। दावा दर्ज होने के बाद आज दिनांक तक भी इसमें 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी तहसीलदार विराटनगर की तरफ से जबाब दावा व जबाब टीआई पेश नहीं हुये पत्रावली अभी जबाब दावा की स्टेज पर ही है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाये है वह सारे निराधार है झूठे है केवल मात्र पत्रावली को इधर उधर करके प्रकरण को लम्बित रखना एवं नाजायज कब्जा बनाये रखना ही प्रार्थी का उद्देश्य है। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।
6. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने अपने पत्रांक कोर्ट/2025/556 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को कोई सरोकार नहीं है एवं लगाये गये आरोप निराधार व मनगढन्त है। विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधि के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है। यदि उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित की जाता है तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को कोई भी आपत्ति नहीं है।
7. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद अनुवानी रतनलाल बनाम भैरुराम वगै० प्रकरण संख्या 64/2020 मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्ते जवाब सरकार में काफी समय से लम्बित है। प्रकरण में दौरान सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करना न्यायोचित नहीं समझते है। वकील प्रार्थी द्वारा मात्र कयास के आधार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.

जिला क्लरक
कोटपूतली-बठिण्डा
कोटपूतली-बठिण्डा